

न्यायालय:— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 15 / 12

संस्थापन दिनांक—10 / 01 / 2012

मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह,  
आयु 65 साल निवासी ग्राम टुडीला,  
थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड

—पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रु द्ध

वीरेन्द्र सिंह पुत्र रुस्तम सिंह आयु 37 साल  
जाति जाट ठाकुर निवासी ग्राम टुडीला,  
थाना मालनपुर जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

-----  
न्यायालय—श्री मनीश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद  
जिला—भिण्ड के न्यायालय के परिवाद क्रमांक—/11 मेघ सिंह वि. वीरेन्द्र  
सिंह में पारित आदेश दि. 29/11/2011 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण  
-----

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 29, सितंबर 2014 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—397 एवं 398 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय श्री मनीश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के परिवाद प्रकरण क्रमांक—/11 मेघ सिंह वि. वीरेन्द्र में पारित आदेश दिनांक 29/11/2011 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र धारा—203 द.प्र.सं. के तहत निरस्त किया गया ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्राइवेट परिवादपत्र संबंधी मूल प्रकरण का विनिष्टीकरण हो चुका है और पुर्ननिर्माण की सामग्री उपलब्ध नहीं है।
3. पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता/निगरानीकर्ता के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी ने परिवाद पेश किया था, जिसमें उसने व उसकी पत्नी रामकली ने यह कथन किया था कि वीरेन्द्र सिंह उसका पुत्र नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है,

जिसका समर्थन गंधर्व सिंह, बाबूसिंह, हाकिम सिंह ने किया एवं गांव का पंचनामा भी पेश किया, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं करके प्रकरण का खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। परिवादपत्र प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादपत्र खारिज करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है। निरस्त किया जावे।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणयाचिका के अनुरूप ही तर्क किए हैं।
5. विचारणीय यह है कि—
  1. “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 29/11/2011 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है?”
  2. क्या, पुनरीक्षणकर्ता का परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिये जाने योग्य है?

#### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।
7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का परिवादपत्र जो कि धारा—193, 196, 198, 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने बाबत पेश किया गया था, उसे संज्ञान योग्य ना पाते हुए निरस्त किया है और आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस सिविल वाद में आरोपी अर्थात् प्रत्यर्थी वीरेन्द्र सिंह ने स्वयं को परिवादी अर्थात् मेघ सिंह का पुत्र बताते हुए दावा किया, उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज परिवाद के समर्थन में पेश नहीं किया है।
8. चूंकि मूल प्रकरण विनिष्टीकृत हो चुका है। ऐसे में मूल प्रकरण का पुर्ननिर्माण ना मौखिक कथन के आधार पर आलोच्य आदेश जो पारित हुआ था, उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जिस सिविल

वाद में स्वयं को पुत्र बताकर सहायता मांगी गयी, उस सिविल वाद से दस्तावेज अर्थात् वादपत्र की प्रति पेश की जाना अनिवार्य थी, क्योंकि उसी वाद के आधार पर अपराध उत्पन्न होना बताया, जिसके अभाव में परिवाद का निरस्त हो जाना पूर्णतः विधि सम्बत माना जावेगा ।

9. ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर यदि विचार करें तो पुनरीक्षण याचिका में जो आधार लिये गये हैं, उनका कोई विधिक मूल्य नहीं है, इसलिये ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि या भूल नहीं पायी जाती है तथा आलोच्य आदेश अवैधानिक, अनुचित या औचित्यहीन ऐसी स्थिति में नहीं पाया जाता है ।

10. फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

दिनांक 29/09/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)